

अपील सं. १९/१७ सुखदेव कारे

बनाम टेक सिंह आदि

आदेश  
दिनांक

आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त

अ  
प  
प्रसारि  
एव

०३/८/१७

वकील अपीलार उप०। वकील अपीलार ने  
प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलार  
प देहपो० का समझौता हो चुका है अतः  
अपीलार अपील में न्यायालय से कोई भी  
अनुलोम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं अतः  
अपील अपीलार निस्तार० की जावे। अपीलार  
स्वयं अपील में कोई अनुलोम नहीं चाहता  
है तो अपील अपीलार इसी स्तर पर स्वीकृत  
की जाती हैं। निर्णय पत्रावली बाद तत्कीर्ण  
तत्कीर्ण नम्बर से कम होकर अ-मि०/१७/१७  
में जमा हो



निवेदित  
२९५  
०३/८/१७

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
श्रीगंगानगर (राज.)